संख्या-56/978/52-3-2014-सा(11)/14

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

2. निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊ : दिनांक 12 जून, 2014

विषयः-मदरसों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन में भाग लेने का अवसर प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के मदरसों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के बहुमुखी विकास हेतु मदरसों के छात्र/छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा समय-समय पर आयोजित शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा खेल-कूद प्रतियोगिताओं में सम्मिलित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय

http://shasanadesh.up.nic.in

लिया गया है, ताकि मदरसों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का एकीकरण हो सकें।

2. उपरोक्त परिपे्रक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना को प्रभावी रूप से लागू किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी से समय-समय पर व्यक्तिगत सम्पर्क कर उनके नियंत्रणाधीन संस्थाओं में आयोजित होने वाली शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा खेल-कूद प्रतियोगिताओं की जानकारी प्राप्त कर तथा आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की जानकारी प्रदेश के मदरसों को दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी, ताकि प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग लेने के इच्छुक छात्र/छात्रायें आयोजित होने वाली जिला स्तरीय एवं प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग ले सकें।

3. जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा है कि वे अपने स्तर से समन्वय स्थापित करके माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा संचालित प्रतियोगिताओं में मदरसों के छात्र/छात्राओं को भी अवसर प्रदान कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(डा) देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in